सत्ता की अवधारणा (The concept of Authority)

समाज विज्ञानों के अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञानकोश के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सत्ता की अनेक व्याख्याएं की गयी है, किन्तु अपने सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व से जुड़ी हुई है। सत्ता को राज व्यवस्था रूपी 'शरीर की आत्मा' कहा जा सकता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्मायोजन, आदि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही सम्भव होती है। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण किए रह सकता है। लोकतन्त्र में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात् जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। राज व्यवस्थाओं एवं राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है, राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इसी से सम्भव होती है। बायर्स्टेड के अनुसार, 'सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह स्वयं शक्ति नहीं है। बीच (Beach) दूसरे के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहता है। रीवे के अनुसार, व्यक्तियों एवं व्यक्ति समूहों को हमारे राजनीतिक निश्चयों के निर्धारण तथा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने का अधिकार है। सत्ता को इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता कि वह 'प्राधिकारियों' द्वारा दी जाती है। इसका वास्तविक आधार अधीनस्थ अथवा जिन्हें निर्देश दिये जाते हैं, उनकी सहमति होती है। अधीनस्थ ही जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत सही या उचित है, तब ही आदेश देने वाले अधिकारी को 'प्राधिकारी" कहा जा सकता है।

Avinash

सत्ता के समान, शास्तियों (sanctions) के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो।

हरबर्ट साइमन के मतानुसार सत्ता के अन्तर्गत वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के व्यवहार आते हैं। सत्ता का अस्तित्व, तब और केवल तब ही माना जाता है, जबकि ऐसा सम्बन्ध इन दोनों के बीच स्थित हो। यदि अधीनस्थ के व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, तो कोई सत्ता नहीं मानी जाती, चाहे संगठन के कागजी सिद्धान्त कुछ भी क्यों न हो। वास्तव में सत्ता स्थिति के अन्तर्गत दो प्रकार के व्यवहार होते हैं।

(i) आदेशों के अनुपालन की प्रत्याशा, तथा

(ii) आदेशों के अनुपालन की इच्छा।

Anupradh